राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2019/189 दिनांकः– 7/6/19

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड–हनुमानगढ/उप आवासन आयुक्त, वृत्त–बीकानेर/अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय के अधीन मण्डल की पुरानी आवासीय योजना हनुमानगढ में मध्यम आय वर्ग–अ का आवास संख्या 9/65 जो कि रेन्टल आवास में आरक्षित था, को मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 24.04.13 के बिन्दु सं. 218.87 के निर्णयानुसार जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 944 दिनांक 25.06.13 के अनुसार नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय द्वारा उक्त आवास का निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम/अंतिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।

2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावें कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.18 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।

3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।

4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नही किया गया है।"

5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 19/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–बीकानेर, राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–हनुमानगढ, राजस्थान आवासन मण्डल, हनुमानगढ ।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक